CHANGE OF NAME OF SCHOOL

FORMAT OF CERTIFICATE TO BE ISSUED BY THE DISTRICT EDUCATION OFFICER/COMPETENT AUTHORITY IN RESPECT OF SCHOOLS ALREADY AFFILIATED WITH THE CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION AND SEEKING CHANGE OF NAME OF SCHOOL		
PART-A **(This part is to be filled-up by the school and to be produced before the District Education Officer/Competent Authority along with all supporting documents and certificates in original)**		
GENERAL INFORMATION		
1	Affiliation Number allotted by CBSE to the school:	**2131757**
2	Present name of the School as per affiliation letter of CBSE:	**ACADEMIC HEIGHTS PUBLIC SCHOOL**
3	Address of the School:	**JUNGLE DHUSAD PIPRAICH ROAD GORAKHPUR**
4	Standard/level/class up to which the school is running:	**XII**
5	Is the name and address of school in CBSE affiliation letter and State NOC/Recognition/U-DISE same exactly the same	**YES**
6	U-DISE code allotted to the school:	**09580000450**
7	Name and address of the Trust/Society/Company (under section-8) running the School as on date	**COGITO EDUCATIONAL SOCIETY, 4/2 SAHARA STATE GORAKHPUR**
8	Is the Trust/Society/Company duly registered with the competent registering authority and the registration is valid as on date?	**YES** **22/08/2022**
9	Purpose of present application:	**CHANGE OF NAME**
10	New name and address which the School is seeking permission for.	**ACADEMIC GLOBAL SCHOOL , JUNGLE DHUSAD PIPRAICH ROAD GORAKHPUR**
11	If the land is in the name of the school, has the name been changed in all land documents?	**NO**
12	The land is in the possession of the school/Trust/Society/Company legally by way of:	**LEASE DEED**
13	Name of the Owner/Lessee of the land in respect of point-12 above:	**SANJEEV KUMAR**

Signature with Stamp (of School Manager)	Signature with Stamp (of School Principal)
Chairman/Manager Academic Heights Public School Jungle Dhusar, Pipraich Road, Gorakhpur	PRINCIPAL Academic Heights Public School Jungle Dhusar, Gorakhpur Affiliation No.-2131757 School No.-55245

PART-B

(This part is to be filled-up by the Competent Authority after verifying all supporting documents and certificates in original and visiting the school)

File No. 15608 Date of Issuance 12-03-2019

1	This is to certify that the information above, provided by the school has been verified on the basis of all supporting documents & certificates and the information has been found correct.	
2	Is the school recommended for changing name mentioned in 2 above to name mentioned in 10 above?	✓

(Signature of Principal)
PRINCIPAL
Academic Heights Public School
Jungle Dhusar, Gorakhpur
Affiliation No.-2131757
School No.-55245

(Signature, Name and Stamp of D.E.O./C.A.)
जिला विद्यालय निरीक्षक
गोरखपुर

प्रेषक,

संयुक्त निदेशक (शिक्षा)
गोरखपुर मण्डल गोरखपुर ।

सेवामें,

सचिव
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र–2, समुदाय केन्द्र, प्रीति बिहार ,
नई दिल्ली ।

पत्रांकः आशु0 / एन0ओ0सी0 / 2701-08 / 2013–14 दिनांकः 12 जुलाई 2013

विषयः– एकेडमिक हाईट्स पब्लिक स्कूल जंगल धूसड़, गोरखपुर को सेन्ट्ल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सन्दर्भ में अवगत कराना है कि माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं को कौंसिल फार दी इण्डियन सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन ,नई दिल्ली / सेन्ट्ल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र राज्य सरकार के स्थान पर सम्बन्धित मण्डल के मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दिये जाने का निर्देश है, मण्डलीय समिति की बैठक दिनांक 06.07.2013 में लिये गये निर्णय के अनुसार एकेडमिक हाईट्स पब्लिक स्कूल जंगल धूसड, गोरखपुर को सेन्ट्ल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धो के अधीन आपत्ति नहीं है –

1– विद्यालय के पंजीकृत सोसाइटी का समय –समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

2– विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।

3– विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति / जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेगें और उनसे उ0प्र0माध्यमिक शिक्षा परिषद / बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नही लिया जायेगा।

4– संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता आई0सी0एस0ई0 नई दिल्ली से (कौंसिल फार दी इण्डियन सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन,नई दिल्ली) / सी0बी0एस0ई0 बोर्ड नई दिल्ली से प्राप्त होती है, जो उस परीक्षा परिषद से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।

5– संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों के अनुमन्य वेतन मानों तथा अन्य भत्ते से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगें।

6– कर्मचारियों के सेवा शर्ते बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उ0 मा0 विद्यालय के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगें।

7– राज्य सरकार / विभाग द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगें संस्था उनका पालन करेगी ।

8– विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित पंजिकाओं में रखा जायेगा ।

9– उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन / संशोधन / परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है, अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है, तो उक्त प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तर दायित्व संस्था का होगा ।

भवदीय

(दिव्यकान्त शुक्ल)
संयुक्त निदेशक (शिक्षा)
गोरखपुर मण्डल गोरखपुर।

पृ0सं0 आशु0/ 2701-08 /2013–14 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नांकित की सेवामें सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पेषित –

1–सचिव, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा–7 अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
2–मण्डलायुक्त गोरखपुर मण्डल गोरखपुर ।
3–जिलाधिकारी गोरखपुर ।
4–शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उ0प्र0 लखनऊ।
5–जिला विद्यालय निरीक्षक गोरखपुर।
6–प्रबन्धक/प्रधानाचार्य एकेडमिक हाईट्स पब्लिक स्कूल जंगल धूसड , गोरखपुर ।
7–गार्ड फाईल ।

(दिव्यकान्त शुक्ल)
संयुक्त निदेशक (शिक्षा)
गोरखपुर मण्डल गोरखपुर।